



AGRICULTURE RESEARCH SUB STATION

(S.K.N. AGRICULTURE UNIVERSITY)

Kumher, Distt. Deeg (Raj.) - 321201

Prof. S.R. Dhaka
Officer Incharge

Mobile No.: 9414042027

Email: incharge.arss.kumher@sknau.ac.in

No. F. /Estt./ARSS/K/2024/114-119

Dated: 20.08.2024

खुली निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) के लिये वित्तीय वर्ष 2024-25 में श्रमिक आपूर्ति एवं हिस्सा आधारित खेती के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। श्रमिक आपूर्ति के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं/फर्मों/सेवा प्रदाता संस्थाओं जिनके पास श्रमिक आपूर्ति लाइसेंस हो तथा केन्द्र पर हिस्सा आधारित खेती के लिए इच्छुक निविदादाताओं के पास पेनकार्ड व आधार कार्ड होना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की सभी शर्तें कार्यालय समय में निविदा शुल्क रुपये 500/- प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक चेक द्वारा भुगतान कर दिनांक 30.08.2024 तक सुबह 10:30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा www.sknau.ac.in व <http://sppp.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं तथा निविदा शुल्क अमानत राशि के साथ ड्राफ्ट द्वारा देना होगा तथा सीलबंद निविदाएं दिनांक 30.08.2024 को सुबह 11:00 बजे तक जमा कराई जा सकती हैं। दिनांक 30.08.2024 को दोपहर 11:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष केन्द्र की गठित कमेटी द्वारा खोली जायेगी। निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

क्र. सं.	कार्य विवरण	अनुमानित राशि (रु) लाख	2 प्रतिशत धरोहर राशि
1	फार्म पर विभिन्न कृषि क्रियाओं के सम्पादन, कृषि प्रायोजित एवं कृषि से संबंधित अन्य सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु	5.0	10000
2	फार्म की 36 हेक्टेयर भूमि पर रबी 2024-25 में हिस्सा आधारित खेती का कार्य	4.99	20000

प्रभारी अधिकारी
Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)
Date: 20.08.2024

No.F./OT/ARSS/KUMHER/ 2024/114-119

प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. श्रीमान निदेशक अनुसंधान, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर लेख है कि आप स्वयं अथवा आपके नामित सदस्य को दिनांक 30.08.2024 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भेजने का श्रम करें।
3. श्रीमान कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
4. श्रीमान क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां-अलवर
5. श्रीमान अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय कुम्हेर-भरतपुर
6. कमेटी कन्वीनर/सदस्य/लेखाशाखा/.....।
7. प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट www.sknau.ac.in & <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
8. कृषि महाविद्यालय/कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
9. पंचायत समिति कुम्हेर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
10. रक्षित फाइल

प्रभारी अधिकारी
कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)



AGRICULTURE RESEARCH SUB STATION (S.K.N. AGRICULTURE UNIVERSITY) Kumher, Distt. Deeg (Raj.) - 321201

Prof. S.R. Dhaka
Officer Incharge

Mobile No.: 9414042027

Email: incharge.arss.kumher@sknau.ac.in

No. F./Estt./ARSS/K/2024/114-119

Dated: 20.08.2024

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) पर कृषि कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिकों की आपूर्ति खुली निविदा

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर पर विभिन्न कृषि क्रियाओं के सम्पादन, कृषि प्रायोजित एवं कृषि से संबंधित अन्य सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु वार्षिक दर संविदा हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी पंजीकृत सेवा प्रदाता संस्थाओं/फर्मों से खुली निविदाएँ निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती हैं:-

क. सं.	विवरण	अनुमानित राशि (लाखों में)	बोली प्रतिभूति (Bid Security)	निविदा शुल्क	निविदा प्राप्त करने की तिथि व समय	निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय
1.	कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर पर विभिन्न कृषि क्रियाओं के सम्पादन, कृषि प्रायोजित एवं कृषि से संबंधित अन्य सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु खुली निविदा	500000	10000/-	500/-	30.08.2024 समय सुबह 10:30 बजे	30.08.2024 सुबह 11:00 बजे तक	30.08.2024 सुबह 11:30 बजे

निविदा प्रपत्र प्रथम

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) पर कृषि कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिकों की आपूर्ति निविदा

निविदा क्रमांक	No. F./OT/Store/ARSS/KUMHER/2024/114-119 Dated: 20.08.2024
बिड प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक 30.08.2024 सुबह 11:00 बजे तक
निविदा प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि के D.D./B.C.: के पक्ष में	ऑफीसर इंचार्ज, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर

निविदा प्रपत्र तथा शुल्क बोली प्रतिभूति (Bid Security) के डी.डी./बैंकर चेक उपर्युक्त नाम से ऑफीसर इंचार्ज, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) के कार्यालय में दिनांक 30.08.2024 समय सुबह 11:00 बजे तक भौतिक रूप से प्रस्तुत करने होंगे।
प्रपत्र 'अ' तकनीकी बिड

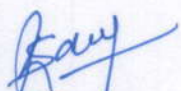
कार्य की अनुमानित लागत - 500000/-
निविदा जमा कराने की
अन्तिम तिथि - 30.08.2024
समय सुबह- 11:00 बजे तक
निविदा प्रपत्र शुल्क -500 रुपये

Officer Incharge
Agril. Res. Sub Station
Kumher (Bharatpur)

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) पर विभिन्न कृषि क्रियाओं के सम्पादन, कृषि प्रायोजित एवं कृषि से संबंधित अन्य सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु खुली निविदा

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम:.....
 2. डाक का पता.....
मोबाईल.....
ई-मेल.....
 3. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम, मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल.....
- कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर).....जिसको संबोधित किया गया - वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष,
निविदा सूचना संदर्भ No. F. /OT/Store/ARSS/KUMHER/2024-2025/114-119 Dated: 20-08-2024 के तहत बोली प्रतिभूति राशि 10000/- रुपये एवं निविदा शुल्क राशि 500.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक ऑफीसर इंचार्ज, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) के पक्ष में देय संलग्न करना होगा। हम ऑफीसर इंचार्ज, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) जारी की गई निविदा सूचना संख्या No. F. /OT/Store/ARSS/KUMHER/2024-2025/114-119 Dated: 20-08-2024 में वर्णित शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
4. सभी कार्यों के लिए केन्द्र की विभिन्न इकाईयों की आवश्यकतानुसार आपूर्ति मांग के 24 घंटे की अवधि में करनी होगी। केन्द्र द्वारा आवश्यकतानुसार सेवा इकाई में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
 5. केन्द्र के अंतर्गत कार्यरत इकाईयों हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति के कार्य हेतु वित्तीय प्रपत्र 'अ' में दी गई दरें व कृषि कार्य हेतु प्रपत्र 'ब' एक वर्ष के लिए हैं जिसे RTTP एक्ट एवं नियम के अनुसार बढ़ाया जा सकता है।
 6. निविदा सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति (Bid Security) के रूप में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या दिनांक.....राशि.....भौतिक रूप से प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) के कार्यालय में प्रस्तुत करते हुए निविदा दिनांक: 30.08.2024 सुबह 11:00 बजे तक जमा करावें।
 7. निविदा प्रपत्र के साथ जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा जीएसटी चुकता प्रमाण पत्र संलग्न करें।
 8. टर्न ओवर प्रमाण पत्र (प्रपत्र 'स') संलग्न करें।
 9. पूर्व में समान प्रवृत्ति के कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का प्रमाण पत्र (प्रपत्र 'द') संलग्न है।
 10. निविदा में संलग्न दस्तावेजात पर क्र.सं. अंकित करनी होगी।
 11. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सील बंद लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी।
 12. निविदा प्रपत्र के साथ FORM NO. 1, Memorandum of Appeal संलग्न है। (प्रपत्र 'य')
 13. निविदा प्रपत्र के साथ कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें।
 14. बोलीदाता/संवेदक विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत करेगा :

क्र.सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्न क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (जो कि श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के नाम बना हो या आवश्यक शपथ पत्र)				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं जीएसटी (GST)				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अंतर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अंतर्गत				


Officer in Charge
 निविदा के हस्ताक्षर मध्य मोहर
 Agril. Res. Sub. Station
 Kumher (Bharatpur)

तकनीकी निविदा प्रपत्र 'अ'

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) पर कृषि कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिकों की आपूर्ति निविदा

परिचय :-कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर (भरतपुर), श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय एवं राजस्थान सरकार द्वारा वित्त पोषित सरकारी संस्था है जिसका उद्देश्य कृषि अनुसंधान व बीजोत्पादन कार्य करना है। केन्द्र के फार्मों एवं केन्द्र परिसर पर प्रायोगिक एवं अन्य कार्य सम्पन्न करवाने हैं, केन्द्र की समस्त इकाईयों द्वारा वर्षभर में विभिन्न कार्यों को सम्पादन करवाने हेतु निम्नलिखित कार्यों की पूर्ति हेतु श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी।

कार्य का नाम
कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर (भरतपुर), पर विभिन्न कृषि क्रियाओं के सम्पादन, कृषि प्रायोजित एवं कृषि से संबंधित अन्य सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु खुली निविदा

उपयुक्त कार्यों हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। ऐसी सेवा प्रदाता संस्थाओं/फर्म/कम्पनी/सोसायटी जिन्हें निविदा में वर्णित श्रमिकों की आपूर्ति का अनुभव हो, निविदा भर सकते हैं। निविदा प्रपत्र वेबसाइट sknau.ac.in व <http://sppp.rajasthan.gov.in> डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रुपये 500.00/- व बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) 10000/- जमा करनी होगी। दिनांक 30.08.2024 समय 11:00 बजे तक प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) के कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है।

A. आवेदन के लिए वांछित पात्रता:-

1. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. निविदादता सेवा प्रदाता फर्म/कम्पनी/सोसायटी का विगत तीन वर्षों (2020-21, 2021-22, 2022-23) का औसत वार्षिक टर्न ओवर हेतु वांछित प्रामाणिक दस्तावेज आदि सी.ए. द्वारा प्रमाणित मय UDIN के अनिवार्य रूप से संलग्न प्रपत्र 'स' करें।
3. सेवा प्रदाता फर्म का राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पंजीकरण होना वांछित है। पंजीकरण संख्या व उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है (कम से कम 50 श्रमिक प्रतिदिन ठेके पर उपलब्ध कराने का होना आवश्यक है)। यदि श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के अंतर्गत उक्त अधिनियम का पंजीकरण नहीं है तो इस आशय का शपथ पत्र कार्यादेश मिलने पर पंजीकरण कराना होगा, प्रस्तुत कर सकते हैं।
4. फर्म/कम्पनी द्वारा न्यूनतम एक सरकारी विभाग/उपक्रम में श्रमिक आपूर्ति का कार्यानुभव विगत 3 पूर्ण वित्तीय वर्ष का होना अनिवार्य है। संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र संस्थान प्रमुख द्वारा जारी हुआ, संलग्न करना अनिवार्य है।
5. आवेदक को पंजीकृत कार्यालय/शाखा का पूर्ण पता व दूरभाष नम्बर देना अनिवार्य है।
6. सेवा प्रदाता का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य है।
7. सेवा प्रदाता को जीएसटी हेतु पंजीकृत होना अनिवार्य है। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न करें।
8. सेवा प्रदाता को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 योजनान्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
9. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकृत संख्या व उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है।

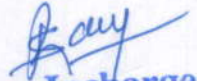

Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

B. आवेदन की विधि तथा बोली प्रतिभूति (Bid Security) जमा कराना।

बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) 10000/- जमा करनी होगी। निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि 500.00/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) के पक्ष में देय एवं भौतिक रूप से प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

श्रमिक आपूर्ति एवं अन्य कार्य के लिए शर्तें

1. अगर ठेकेदार अपना निश्चित अवधि के बीच में छोड़ता है व श्रमिकों को भुगतान नहीं करता है या कार्य संतोषजनक नहीं करने पर उसको इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस ठेके से हटाया जा सकता है तो उसके द्वारा जमा बोली प्रतिभूति एवं कार्य सम्पादन राशि जब्त कर ली जायेगी।
2. ठेकेदार को प्रत्येक दिन कुल श्रमिकों की मांग के अनुसार कम से कम 90 प्रतिशत पुरुष श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे अन्यथा जितने कम पुरुष श्रमिक होंगे उसके अनुसार रु. 40/- प्रति पुरुष श्रमिक के हिसाब से सस्ती (पैनेल्टी) का भुगतान देय होगा व उस दिन के कुल श्रमिक के देय भुगतान में से इस शास्ती (पैनेल्टी) की राशि को कम करके भुगतान देय होगा।
3. ठेकेदार द्वारा संस्थान में श्रमिकों को राजस्थान सरकार के द्वारा वर्तमान में निर्धारित दर से कम पर भुगतान नहीं होगा। यदि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम दरें बढ़ाई जाती हैं तो ठेकेदार श्रमिकों को राजस्थान सरकार के द्वारा परिवर्तित निर्धारित दर के अनुसार अधिक दर का भुगतान करेगा व इसी परिवर्तित निर्धारित दर के अनुसार प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) के कार्यालय से ठेकेदार को श्रमिकों का भुगतान करना होगा। ठेकेदार अपने समस्त खर्च एवं लाभांश को मध्येनजर रखते हुए निविदा में विभिन्न कैटेगरी के श्रमिकों को उपलब्ध करवाने हेतु अपनी निर्धारित दरें दें।
4. सेवा उपभोग करने वाले संस्थान द्वारा ठेकेदार के श्रमिक बिलों के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो भी श्रमिकों को समय पर भुगतान की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की अपनी होगी। ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा अन्यथा देरी से भुगतान करने पर 500/- रु प्रतिदिन के हिसाब से उपयोगकर्ता संस्थान में शास्ती (पैनेल्टी) की राशि जमा करवानी होगी। ठेके के अधीन कार्यरत श्रमिकों का भुगतान श्रमिकों के बैंक में ट्रांसफर करना होगा तथा ट्रांसफर लिस्ट कार्यालय में जमा करानी होगी। इस बिन्दु को विशेष रूप से ध्यान में रख कर निविदा भरें।
5. श्रमिक जिस कार्यालय को उपलब्ध करवायेंगे उसी कार्यालय को बिल प्रस्तुत करना होगा और वही कार्यालय प्रस्तुत बिलों का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।
6. सभी विभागों में श्रमिकों की प्रतिदिन कराई गई उपलब्धता की संख्या व विभाग में लगने वाले श्रमिकों के नाम की सूची संबंधित कार्यालय में हस्ताक्षर व फर्म की मौहूर लगा कर देनी होगी। नियमानुसार ठेकेदार श्रमिक के तौर पर 20 वर्ष से कम व 60 वर्ष से ज्यादा आयु के व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाया जा सकता है। अगर किसी भी विभागीय स्टाफ को किसी भी कार्यरत श्रमिक की कार्यशैली एवं आचरण आदि पर संदेह होता है तो उस श्रमिक की पहचान ठेकेदार को बतानी होगी।
7. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को प्रत्येक माह के भुगतान की लिखित सूचना हस्ताक्षर सहित संस्थान को देनी होगी। उसके पश्चात् ही आगामी माह के बिल का भुगतान देय होगा।
8. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गये श्रमिक द्वारा संस्था में किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाता है तो उसका उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा, नुकसान की वसूली का पूर्ण अधिकार ऑफीसर इंचार्ज कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) को ठेकेदार से होगा।
9. किसी भी प्राकृतिक कारणों से या आकस्मिक अवकाश घोषित होने पर अगर कुल उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिकों की मांग में जिस दिन बदलाव की आवश्यकता होगी, उस दिन रात्रि 9 बजे तक ठेकेदार को इकाई प्रभारी या उनके प्रतिनिधि द्वारा सूचित कर दिया जावेगा, उसी के अनुसार ठेकेदार को श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगे।


Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

10. ठेकेदार कार्यालय कार्य एवं अन्य कार्यों की महत्वता एवं गुणवत्ता अनुसार श्रमिक उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो संस्थान अपने स्तर पर श्रमिकों की व्यवस्था करवायेगा। यदि ठेकेदार द्वारा समय पर पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध नहीं करायेगा तो ऑफीसर इंचार्ज कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) अपने स्तर पर श्रमिकों की व्यवस्था करेगा तथा अतिरिक्त अधिक राशि का भुगतान उस दिन श्रमिकों को देय होगा उस अतिरिक्त राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
11. श्रमिकों को कृषि कार्य हेतु उपलब्ध करवाने बाबत इस कार्यालय द्वारा अग्रिम राशि देय नहीं होगी। कार्य की आवश्यकता को मध्येनजर रखते हुए श्रमिकों की उपलब्धता देय ठेके की अवधि **RTPPR 2012, RTPPR 2013 एवं GF&AR** में उल्लेखित प्रावधानानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकेगी।
12. केन्द्र द्वारा फर्म को किसी भी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा। इकाई प्रभारी श्रमिक से कोई भी कार्य करवा सकता है।
13. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों की उपलब्धता मांग के अनुरूप नहीं करने एवं अन्य विवाद की स्थिति में 7 दिन के नोटिस पर ठेकेदार का अनुबंध निरस्त किया जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में उसकी समस्त अमानत राशि जब्त करने व अन्य सफल निविदाओं में से जिसकी दर न्यूनतम एवं उचित होगी, उसे ठेका देने का अधिकार ऑफीसर इंचार्ज कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) को होगा।
14. ऑफीसर इंचार्ज कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) न्यूनतम दरों पर ठेकेदार द्वारा श्रमिक उपलब्ध करवाने पर भी निविदा अनुमोदन के लिए बाध्य नहीं होगा।
15. न्यूनतम दर से साथ निविदा की दरों की व्यवहारिकता उसके पूर्व में किये गये कार्यों का अनुभव और उसके पंजीयन की प्रमाणिकता आदि को भी ध्यान में रखा जावेगा।
16. दो या दो से अधिक निविदादाताओं के द्वारा दी गई कार्य दरों में अगर समानता होती है तो पिछले तीन वर्षों के औसत टर्नओवर के आधार पर प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) एवं माननीय कुलपति महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
17. निविदादाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति को कार्यालय समय में केन्द्र में उपस्थित रहना आवश्यक होगा। केन्द्र में प्रतिदिन चाहने वाले श्रमिक केन्द्र के सम्बंधित व्यक्तियों द्वारा सम्बंधित विभाग पर उपलब्ध रजिस्टर में दर्ज कार्य अनुसार निविदादाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे व रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर व दिनांक अंकित करने होंगे।
18. यदि निविदादाता द्वारा समय पर श्रमिक उपलब्ध नहीं कराये गये तो कार्य की आवश्यकता को देखते हुए सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी उस कार्य को अपने स्तर पर ठेकेदार की दर से दोगुना तक श्रमिक लगाकर पूर्ण करा लेंगे जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा जमा अमानत राशि में से किया जायेगा तथा उतनी ही राशि केन्द्र उसकी अमानत राशि में से पैनल्टी के रूप में काटेगा। समय पर कार्य सम्पादन न कराने, श्रमिक उपलब्ध न कराने व निविदा शर्तों को न मानने पर निविदादाता को भविष्य के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा।
19. निविदादाता को यथासंभव पूर्व में ही कार्य हेतु दिन व समय बता दिया जायेगा, फिर भी दिन व समय प्रकृति पर निर्भर करेगा जिसके लिए निविदादाता को तुरन्त श्रमिकों की व्यवस्था करनी होगी। निविदादाता द्वारा समय पर कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में जो भी हानि होगी वह निविदादाता को वहन करनी होगी। निविदादाता यदि कृषि कार्य की महत्वता एवं गुणवत्तानुसार कार्य करने में असमर्थ रहता है या कार्य अधूरा छोड़ता है तो केन्द्र उन शेष कार्यों को अपनी जिम्मेदारी से पूर्ण करायेगा जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा जमा अमानत राशि में से किया जायेगा। इस भुगतान की राशि पुनः सात दिनों के अन्दर जमा करानी होगी। इस प्रकार की प्रवृत्ति की यदि तीन बार पुनरावृत्ति होती है तो ऑफीसर इंचार्ज कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) को निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा एवं निविदादाता की अमानत राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
20. अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग फर्मों के न्यूनतम दर प्राप्त होने पर निविदा का विभाजन नहीं किया जायेगा।


Officer Incharge
 Agril. Res. Sub. Station
 Kumbher (Bharatpur)

21. कोरोना महामारी (कोविड-19) के मध्येनजर, श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच के साथ टीकाकरण, सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाइजर एवं आवश्यक साधन/ सामग्री उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
22. कोरोना महामारी (कोविड-19) के सम्बन्ध में भारत/राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी होने वाली समस्त दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
23. केन्द्र द्वारा निर्धारित दर (जो निविदा फार्मों में दर्शाई गई है) से कम प्रस्तुत की गई दरों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
24. राजस्थान सरकार (वित्त विभाग) द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.02(1)/वित्त/एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 30.04.2018 के संख्या 01/2018 के अंतर्गत निम्न शर्तें भी जोड़ी जा रही हैं:-
 - i. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 मार्च, 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
 - ii. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक की उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
 - iii. संवेदक निविदादाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में NEFT/RTGS/Online द्वारा ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई राशि का विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
 - iv. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
 - v. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जायेगा।
 - vi. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों को नियमानुसार ई.पी. एफ व ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी. एफ व ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिलों का भुगतान किया जायेगा।
 - vii. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्यस्थल पर Display Board लगाये जायेगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline Number एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।
 - viii. राज्य में लागू श्रम नियमों के अंतर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ व ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
 - ix. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं जीएसटी की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। संवेदक द्वारा गत माह में बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं जीएसटी की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं जीएसटी का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं जीएसटी के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।


Officer Incharge
 Agril. Res. Sub. Station
 Kumbher (Bharatpur)

- x. श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिषा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिषा-निर्देशों आदि का पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- xi. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपपान संस्था प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का उचित प्राकर से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- xii. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
- xiii. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- xiv. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपपान संस्था को प्राप्त होती है, तो उपपान संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।
- xv. यदि संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मदेनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जावेगा। उदाहरण के लिए यदि उपपान संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है, तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले सम्बन्धित संवेदक का होगा।
- xvi. उपपान संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावेगी।
- xvii. निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने की पूर्ण अधिकार प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) को होगा।
- xviii. उपरोक्त शर्तों का अध्ययन कर स्वीकार करने के रूप में निविदादाता के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं मोहर अंकित कर दी है।

विभिन्न कृषि कार्यों हेतु नियम व शर्तें :-

1. सिंचाई कार्य हेतु डीजल इंजन, पम्प, पाइप इत्यादि सामान कार्यालय से गिन कर दिया जायेगा व उस सामान की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
2. फार्म के समस्त कार्य फार्म प्रभारी/प्रभारी प्रबंधक के दिशा निर्देशन में ही करने होंगे।
3. फार्म प्रबंधक की मांग के अनुसार कार्य समय पर करना होगा व प्रभारी अधिकारी के सन्तुष्ट होने पर ही कार्य का भुगतान किया जायेगा।
4. किसी भी कार्य में श्रमिकों को लाने, ले जाने, पानी पिलाने इत्यादि की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि किसी भी श्रमिक को कार्य के दौरान कोई क्षति होती है तो उसका जिम्मेदार स्वयं ठेकेदार होगा, केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसा 500 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर लिखकर देना होगा।
5. ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही वरतने या समय पर कार्य न कराने की स्थिति में कार्य कार्यालय द्वारा करा लिया जावेगा व इस कार्य का भुगतान ठेकेदार के भुगतान से काट लिया जावेगा। एवं ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अमन में लायी जावेगी।

दिनांक
स्थान

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय स्पष्ट नाम
मय फर्म की रबड मोहर


Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

viii. भुगतान की शर्तें—

बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सफल निविदादाता सेवा प्रदाता को जिस कार्यालय को श्रमिक उपलब्ध करवाये गये उसी कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल प्रस्तुत करना होगा और वही कार्यालय प्रस्तुत बिलों के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा। उक्त सेवाओं के बदले फार्म प्रबंधक/प्रभारी द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रूप से निविदादाता सेवा प्रदाता को RTGS/NEFT/चैक द्वारा किया जाएगा।

ix. भुगतान की जिम्मेदारी—

निविदादाता (सेवा प्रदाता) को मासिक आधार पर सेवाओं के संतोषजनक होने पर सेवा प्रदाता फर्म को भुगतान करेगा। अन्य किसी भी तरह की जिम्मेदारी से मुक्त होगा। वर्णित कार्यों के किए जाने वाले भुगतान तथा अन्य किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त होगा।

x. मध्यस्थः—

निविदा की किसी भी शर्तें/ शर्तों के संबंध में ऑफीसर इंचार्ज कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

xi. कार्यदेश का निरस्तीकरण—

ऑफीसर इंचार्ज कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) को किसी भी कार्यदेश को निरस्तीकरण पेटे बिना कोई भुगतान किए पूर्णतः/आंशिक रूप से निरस्तीकरण के सम्पूर्ण अधिकार होंगे लेकिन यह मात्र असामान्य/विशेष परिस्थितियों में ही हो सकेगा।

xii. निविदा शर्तों की स्वीकारोक्ति—

निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि यह निविदा भरते समय निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों पढ़/समझ ली है तथा उसे/उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। अहस्ताक्षरित निविदाएँ निरस्त की जा सकती हैं। भारत/राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कर/लेवी की वसूली सफल निविदादाता के बिल से कटौती केन्द्र द्वारा की जाएगी।

xiii. निविदा की अन्य शर्तें—

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-2 के नियम 68 निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की शर्तें एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार लागू होंगी।

xiv. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब्त करते हुए अपराधिक प्रकरण वर्ज करवाया जाएगा।

xv. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार— बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों को सुधार करेगी, अर्थात :-

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और मूल्य में सुधार किया जायेगा, स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होंगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपयुक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यक्षीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।


Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

xvi. सत्यनिष्ठा संहिता- उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, -

- (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
- (ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
- (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बांधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि बोली में कूट मूल्य वृद्धि का प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
- (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय के दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुँचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।
- (च) उपापन प्रक्रिया को किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
- (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
- (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्वनियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

xvii. हित का विरोध -

- (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों का उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो,
- (2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था के किसी कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित हैं, किन्तु उप तक सीमित नहीं हैं:-
 - (क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे (किबाहय वृत्तिक) या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय अस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।
 - (ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और अस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाहय क्रिया कलाप और सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपाहर की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हों, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।
 - (ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।
 - (घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहां उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्यवाहियों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।
- (3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु दन तक सीमित नहीं हैं यदि,-
 - (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार हैं।
 - (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है।
 - (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
 - (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली केबारे में सूचना तक पहुंचाने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।
 - (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।


Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

i. निविदा का खोला जाना-

दिनांक 30.08.2024 को सुबह 10:30 बजे तक प्राप्ति तथा निविदा प्रपत्रों को दिनांक 30.08.2024 सुबह 11:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

ii. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि -

सफल निविदादाता को कार्यादेश राशि के 3 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति को (**Performance Security**) जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंक पे-ऑर्डर प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) के नाम जो भरतपुर में भुगतान योग्य हो, के माध्यम से जमा करानी होगी। पूर्व में बोली प्रतिभूति के रूप में जमा राशि समायोजित की जा सकेगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वांछित अवधि समाप्त होने पर तथा समस्त कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर ही लौटाई जा सकेंगी अन्यथा कि स्थिति में यह पूर्ण रूप से/ आंशिक जब्त की जा सकेगी।

iii. उत्तरदायित्व-

सेवा सम्पादन के दौरान मैन पॉवर की किसी प्रकार की दुर्घटना या भारत/राजस्थान में प्रचलित किसी कानून/नियम/अधिनियम/उपनियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सफल निविदादाता को जिम्मेदार अधिकारी/व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाना होगा ताकि कार्य सुचारु रूप से हो सकें।

iv. निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्तियां-

निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण रूप से या आंशिक/रूप से अस्वीकार करने के सम्पूर्ण अधिकार प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) को होंगे। यह अनिवार्य नहीं की असफल निविदादाता के साथ पत्र व्यवहार कर या उनके पत्र व्यवहार का जबाब दिया जाए। एक बार निविदा प्रस्तुत कर देने पश्चात् वापस लेने का अधिकार किसी निविदादाता को नहीं होगा। पर्याप्त बिड सिक्यूरिटी, निविदा शुल्क के अभाव में निविदा फार्म रद्द कर दिए जाएंगे। निविदा में प्राप्त दरें बातचीत/बिना बातचीत स्वीकार करने के पूर्ण अधिकार क्रय समिति एवं उपापन अधिकारी को होंगे जो निविदादाता के लिए बाध्यकारी होंगे।

v. अनुमानित राशि का आंकलन :-

प्रपत्र 'अ' में वर्णित कार्य संख्या अनुमानित है, जिसमें मौके पर कुछ परिवर्तन संभावित है। उक्तानुसार कार्य की अनुमानित लागत राशि 500000/- है। केन्द्र द्वारा आयकर स्रोत पर काटकर ही राशि का भुगतान किया जाएगा।

vi. दर संविदा अनुबंध की अवधि-

दर संविदा की अवधि एक वर्ष अथवा 31.03.2025 के लिए होगी तथा जो परस्पर सहमति से नियमानुसार बढ़ाई जा सकती है।

vii. अनुबंध पत्र-

सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारूप से अनुसार नियमानुसार निर्धारित राशि रु 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर एक अनुबंध पत्र सम्पादित करना होगा जिसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। दोनों पक्षों को उक्त अनुबंध पत्र की प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालन करना होगा। यदि निविदादाता उक्त शर्तों का उल्लंघन करना है तो अनुबंध पत्र किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा तथा उक्त कार्य अनुबंधकर्ता की **Risk and Cost** पर अन्य व्यक्ति से करा लिया जाएगा। यदि करार के पश्चात् चाही गई मैनपॉवर में किसी प्रकार की बढ़ोतरी/कमी है तो आनुपातिक आधार पर पैकर्स सेवाएँ बढ़ाई/घटाई जा सकती हैं।


Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्रारूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

xviii. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण – प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होंगे।

1. अपील – (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्याधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही से लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिष्पन्न या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन की अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप में (प्रपत्र-‘य’) में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी, जिसको तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्याधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसका समक्ष उप-धारा (1) के अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से 30 दिवस के अन्दर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोल लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से 15 दिवस के अन्दर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है यथा-सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।


Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

- (7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तोवजों में उपदर्शित किया जाएगा।
- (8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।
- (9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।
- (10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का द्वारा करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अडचन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

1. अपील का प्रारूप –

- (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप (प्रपत्र – य) में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।
- (2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
- (3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिः यारजिस्ट्रीकरणडाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

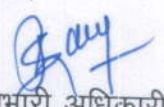
2. अपील फाइल करने के लिए फीस –

- (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।
- (2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जावेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

3. अपील के निपटारे की प्रक्रिया –

- (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
- (2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी, –
(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा।
(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों को अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
- (3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
- (4) उपनियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

xix. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायलय क्षेत्र, भरतपुर (राजस्थान) होगा।


 प्रभारी अधिकारी
Officer Incharge
 Agril. Res. Sub. Stati
 Kumbher (Bharatpur)

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपरोक्त सभी शर्तों से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर (भरतपुर)

सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र

BOQ Format प्रपत्र "अ"

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी मय संख्या		सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत 13 प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत (3.25%)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह प्रति श्रमिक)	कुल राशि (5+6+7+8)
		कार्य हेतु आवश्यक मानक के साधन की अनुमानित व संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिदिन					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कृषि अनुसंधान	अकुशल श्रमिक	259					
2	उपकेन्द्र कुम्हेर	अर्द्धकुशल श्रमिक	271					
3	पर विभिन्न कृषि क्रियाओं के	कुशल श्रमिक	283					
4	सम्पादन, कृषि प्रायोजित एवं कृषि से संबंधित अन्य सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु खुली निविदा	उच्च कुशल	333					

अति आवश्यक शर्तें :-

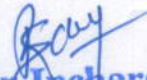
निविदादाता के हस्ताक्षर

- श्रमिकों को भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा तथा वास्तविक भुगतान की पुष्टि श्रमिक के बैंक खाते के विवरण से भी किया जा सकेगी।
- प्रतिमाह की गणना 26 दिन के आधार पर की जायेगी।
- श्रमिकों को नियोजित करते समय उसके पी.एफ. खाते का विवरण उपलब्ध करवाना होगा।
- श्रमिक के ई.एस.आई में पंजीयन करवाकर प्रथम बिल के साथ संलग्न करना होगा।
- पी.एफ. की जमा पुष्टि श्रमिक के पी.एफ विवरण से कभी भी की जा सकेगी, यदि पी.एफ. खाते में राशि कम जमा करवाना पाया गया तो कभी भी वसूली की जा सकेगी।


Officer Incharge
 Agril. Res. Sub. Station
 Kumher (Bharatpur)

6. सफल निविदादाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ.और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बंधित चालान की प्रति मूल कार्मिकों की सूची जिनके खातों के अन्य राशि जमा की गई है, प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/ बिलों का भुगतान किया जायेगा, अन्यथा निविदाकर्ता को बिल/ बिलों का भुगतान नहीं किया जावेगा जिसका निविदाकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
7. सफल तकनीकी निविदादाता फर्मों द्वारा सर्विस चार्ज के रूप में शून्य प्रतिफल अथवा ऐसी राशि जो गणना उपरान्त भुगतान योग्य राशि नहीं हो, प्रस्तावित करने पर शून्य प्रतिफल मानते हुए RTPP Act की धारा 2 (xviii) के अंतर्गत अमान्य होगी।
- (उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1-4, 6 व 7 की पूर्तियां सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा की जाकर बोली दस्तावेज में ही उपलब्ध कराई जायेंगी तथा शेष स्तम्भ संख्या 5, 8 व 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां की जा सकेंगी)
- iv. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
- v. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1982 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था का प्रस्तुत की जायेगी।
- vi. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जावेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जावेगा।
- vii. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
- viii. केन्द्र की मांग अनुसार श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु संवेदक द्वारा अपने फर्म के लेटरहेड पर उपलब्ध कराये गये श्रमिकों की जानकारी मय आवश्यक श्रमिक पहचान पत्र-आधार कार्ड की फोटो प्रति केन्द्र पर प्रारम्भ में जमा करानी होगी।

नोट:- 1. निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय प्रस्ताव किया जायेगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।
2. यदि कोई फर्म न्यूनतम वेजिज के उपर कुछ भी सर्विस चार्ज नहीं दर्शाते है, ऐसी फर्म को **Unresponsive** माना जायेगा।


Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि यदि मैं/हम निविदा में दर्शाई गई शर्तों एवं नियम का पालन नहीं करता/करते हैं तो हमारी बिड सिक्यूरिटी पर परफॉरमेन्स सिक्यूरिटी को जब्त कर लिया जाये। मैंने/हमने निविदा की सभी शर्तों/नियमों को भलीभांति पढ़ लिया है, समझ लिया है तथा उनसे मैं/हम पूर्णतया सहमत है।

हस्ताक्षर
पूर्ण पता फर्म की मोहर


Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर (भरतपुर)

No.F./OT/ARSS/KUMHER/2024/114-119

Date:- 20.08.2024

खुली निविदा हेतु वाछित दस्तावेजात की सूची निम्न प्रकार संलग्न करें

क्र.सं.	आवश्यक दस्तावेजात का विवरण	संलग्न सूची क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 जो कि श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के नाम बना हो या आवश्यक शपथ पत्र	
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948	
4.	वस्तु कर एवं जीएसटी (GST)	
5.	आयकर (पैन कार्ड)	
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अंतर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अंतर्गत	
7.	वार्षिक टर्नओवर प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा प्रमाणित मय यू.डी.आई.एन. द्वारा जारी (वित्तीय वर्ष - 2020-21, 2021-22 व 2022-23) प्रपत्र स	
8.	कार्य अनुभव/संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र	
9.	ब्लैक लिस्ट न होने का घोषणा प्रपत्र द	
10.	निविदा प्रपत्र शुल्क रुपये 500/- का डी.डी. संलग्न	
11.	अमानत राशि रुपये 10000/- का डी.डी. संलग्न	
12.	शर्तों पर सहमति पत्र	

नोट:- उपरोक्त वाछित दस्तावेजात के अभाव में निविदा अनुत्तरदायी माना जावेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। अनुत्तरदायी होने पर फर्म की वित्तीय निविदा को नहीं खोला जावेगा। उपरोक्त दस्तावेज सूची अनुसार तकनीकी प्रपत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर


प्रभारी अधिकारी
कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर)
Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स.....का विगत तीन वित्तीय वर्षों का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है।

क्र.सं	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि रु.लाखों में)
1	2020-21	
2	2021-22	
3	2022-23	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत वार्षिक टर्न ओवर	

औसत टर्न ओवर प्रति वर्ष
सी.ए. द्वारा प्रमाणित मय UDIN-

दिनांक:

हस्ताक्षर निविदादाता
एवं सील

अंकेक्षक/सनदी लेखाकार का
नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या


Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने प्लेसमेंट कार्य सेवा/सेवा ईकाई की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति सेवा इकाईयों के संतोषप्रद कार्य नहीं करने होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हम किसी भी न्यायलय में सेवा प्रदायगी में **Defaulter** का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायलय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर


Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

FORM NO. 1 [See rule 83 of RTPP]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency In Public Procurement Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the..... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official Address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (S):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal:

.....

 (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

Place Date

Appellant's Signature


Officer Incharge
 Agril. Res. Sub. Station
 Kumher (Bharatpur)

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर)
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
हिस्सा आधारित कृषि हेतु

खुली निविदा प्रपत्र नं० 02

खुली निविदा सूचना क्रमांक: एफ (LT)/Store/ARSS/K/2024/114-119		दिनांक: 20.08.2024
1. योजना का नाम	हिस्सा आधारित खेती	
2. बजट हैड	रिवोल्विंग फण्ड	
3. कार्य की अनुमानित अवधि	रबी वर्ष 2024-25	
4. निविदा फार्म का मूल्य	500/- रुपये बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक	
5. धरोहर राशि की प्रकृति व राशि	धरोहर राशि 20000/- रुपये	
6. अनुमानित लागत	4.99 लाख	
7. प्रपत्र क्रय करने की दिनांक व समय	30.08.2024 सुबह 10:30 बजे तक	
8. प्रपत्र जमा कराने की दिनांक व समय	30.08.2024 सुबह 11:00 बजे तक	
9. निविदा खोलने की दिनांक व समय	30.08.2024 सुबह 11:30 बजे	
10. परिशिष्ट संख्या एक से चार	निविदा की शर्तें	
11. परिशिष्ट संख्या चार - पृष्ठ संख्या पाँच	फसल व हिस्सेदारी का विवरण	
12. पत्राचार हेतु पता- प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर)	मोबाईल नं०-9414042027	

निविदादाता के हस्ताक्षर


प्रभारी अधिकारी
Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर)

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

हिस्सा आधारित खेती हेतु

तकनीकी निविदा प्रपत्र वर्ष 2024-2025

क्रमांक: क्रमांक: एफ (LT)/Store/ARSS/K/2024/114-119

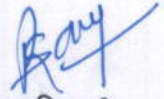
दिनांक: 20.08.2024

फर्म का नाम व पता मय दूरभाष:-

1. धरोहर राशि रू0 20000/- को डी0डी0 सं0/बी0सी0 सं0.....दिनांक।
2. पैन नं0 (फोटोप्रति संलग्न करें)
3. आधार संख्या (फोटोप्रति संलग्न करें)
 - बैंक पासबुक/केन्सिल चैक
 - संतोषजनक कार्य करने का प्रमाण पत्र
 - ब्लेकलिस्ट नहीं होने का प्रमाण पत्र
4. शर्तों पर सहमति हेतु हस्ताक्षर मय सील ।
5. सफल निविदादाता को 500/- रुपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र करना होगा।
6. निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष रहेगा।
7. बिल का भुगतान कार्य पूरा होने के पश्चात् कोष कार्यालय जोबनेर के पास होने के बाद किया जावेगा।
8. निविदा सील बन्द लिफाफे में कर जमा की जावेगी, तथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफे में स्वीकार किया जायेगा।
9. अमानत राशि पर संस्था द्वारा कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

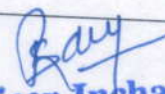
नोट: प्रपत्र-स निविदा फार्म के साथ भरकर संलग्न करें।

हस्ताक्षर ठेकेदार


प्रभारी अधिकारी
Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

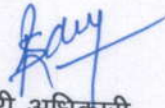
निविदा शर्त:-

1.	प्रस्तावित निविदा सीलबन्द लिफाफे में प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) को प्रेषित होनी चाहिए।
2.	प्रस्तावित हिस्सेदारी प्रतिशत फसल के सामने स्पष्ट लिखकर देनी होगी। किसी भी प्रकार की कांट छांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं होगी।
3.	बुवाई के दौरान एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले बीज, खाद एवं उर्वरक, फफूंदनाशक, कीटनाशक कल्चर आदि की आपूर्ति केन्द्र द्वारा ही की जायेगी व प्रभारी अधिकारी की सिफारिश के अलावा देय नहीं होगा।
4.	निविदादाता को सिंचाई संबंधी पाईप, फव्वारे बेड, टी, डाट आदि गिनकर लिखित रूप में प्राप्त करने होंगे तथा समाप्त होने तक सारी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी एवं उतनी ही संख्या में गिनकर ही लौटाने होंगे, नहीं लौटाने पर इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
5.	निराई, गुड़ाई, थ्रेसिंग तथा संबंधित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए निविदादाता को करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार फार्म मैनेजर व प्रभारी अधिकारी को होगा।
6.	थ्रेसिंग के बाद फसल उत्पादन को खलिहान से गोदाम तक लाने के लिए फार्म ट्रैक्टर ट्राली उपलब्ध करवा दी जावेगी।
7.	फार्म कार्य संतोषजनक नहीं होने पर निविदा को निरस्त करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा जो कि कॉन्ट्रेक्टर (निविदादाता) को मान्य होगा।
8.	आवास की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी। कार्यालय द्वारा कोई सुविधा देय नहीं होगी।
9.	फार्म पर बुवाई क्षेत्र के आस-पास खरपतवार व अन्य अवांछित पौधे निकालने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। पौधे नहीं निकालने पर लगने वाली मजदूरी का भुगतान निविदादाता से वसूला जावेगा।
10.	निविदादाता को प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करने होंगे।
11.	प्रथम वरियता प्राप्त पार्टी द्वारा कार्य नहीं संभालने पर ठेका निरस्त करके अगली वरियता पार्टी को कार्य का आदेश प्रभारी अधिकारी दे सकेंगे। अनुबंध की अवधि आदेश की तारीख से एक साल तक के लिए मान्य होगी। अनुबंध की अवधि कार्य संतोषजनक होने पर आपस की सहमति में अगले एक साल के लिए और बढ़ाई जा सकती है।
12.	निविदादाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी तथा निविदादाता या उसके मजदूर केन्द्र/ फार्म पर मदिरा एवं अन्य किसी भी नशाले पदार्थों का उपयोग नहीं करेगा और न ही किसी मजदूर को उपयोग करने देगा।
13.	फार्म फील्ड पर यदि रबी-खरीफ सीजन में किसी भी फसल की ट्रायल लगायी जाती है तो जानवरों से उस फसल की सुरक्षा भी निविदादाता को ही करनी होगी।
14.	निविदा भरने से पूर्व समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़े व प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें।
15.	सफल निविदादाता द्वारा धरोहर राशि 20000/- रुपये बैंकर्स चैक अथवा जो कि ऑफिसर इंचार्ज कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर के नाम देय हो जमा करानी होगी। जिस पर किसी भी प्रकार की ब्याज देय नहीं होगी।
16.	फार्म पर 36 हेक्टेयर कृषि भूमि है, फसल के हिसाब से क्षेत्रफल आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है।
17.	यह ठेका रबी वर्ष 2024-25 के लिए कार्यालय आदेश जारी होने के फसल फार्म फील्ड में से उठने तक के लिए मान्य होगा। फसल फील्ड में से उठने तक की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
18.	वजन तोलते समय नमी, कचरा, ट्रांसपोर्टेशन लॉस व स्टोर लॉस के लिए एक प्रतिशत तक कुल वजन में से अलग से लिया जायेगा।
19.	जुताई हेतु ट्रैक्टर सभी यन्त्र, डीजल आदि व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जायेगी। सिंचाई हेतु इंजन, पाईप डीजल इत्यादि केन्द्र उपलब्ध करायेगा।
20.	बुवाई के दौरान एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले बीज, खाद एवं उर्वरक, फफूंदनाशक, कीटनाशक, कल्चर आदि की पूर्ति केन्द्र द्वारा की जावेगी।
21.	बुवाई से लेकर थ्रेसिंग व स्टोर में बोरियों की धांग लगाने तक की प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करना होगा।
22.	स्वीकृत निविदादाता को सिंचाई संबंधी डीजल, ईंजन, पम्पसैट, पाईप व अन्य सामान गिनकर लिखित में प्राप्त करना होगा व गिनकर वापिस जमा कराना होगा व जिसकी चौकीदारी स्वयं ठेकेदार को ही करनी होगी।
23.	थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाले बीज उत्पाद के बंटवारे के बाद ठेकेदार को राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित फसल निकालने के समय जो भी समर्थन मूल्य होगा उसके हिसाब से एवं जिन फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं हुआ हो तो उन फसलों का फसल काटने के समय कृषि उपज मण्डी के 7 दिनों के औसत भाव के आधार पर या केन्द्र द्वारा विक्रय किये केवीएसएस दर पर उस हिस्से के उत्पाद का चैक द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा। ठेकेदार के भुगतान के उपरान्त केन्द्र अपने उत्पाद को किसी भी रूप में बेचे इसमें ठेकेदारों को कोई आपत्ति नहीं होगी।
24.	ठेकेदार को फसल कटाई के बाद कटी हुई फसल को कहाँ इकट्ठा करना है व कितने ढेर बनाने है। इसके लिए फार्म प्रबन्धक से सम्पर्क करना होगा व फसल इकट्ठा करने हेतु प्रतिकूल मौसमीय परिस्थिति को देखते हुए फार्म प्रभारी व प्रबन्धक से सम्पर्क करना होगा व फसल इकट्ठा करने हेतु प्रतिकूल मौसमीय परिस्थिति को देखते हुए फार्म प्रभारी व प्रबन्धक के निर्णय के अनुसार व कार्यशीलता से करना होगा। फसल इकट्ठा करने हेतु ट्रैक्टर-ट्राली केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।
25.	निराई, गुड़ाई, थ्रेसिंग, दवाओं का छिड़काव/ भुरकाव व अन्य संबंधित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए निविदादाता को करना होगा। प्रतिकूल मौसम होने पर कार्य रोके जाने अथवा जारी रखने व परिस्थिति अनुसार निर्णय लेने का अधिकार फार्म प्रभारी/ फार्म प्रबन्धक का होगा।


Officer Incharge
 Agril. Res. Sub. Station
 Kumher (Bharatpur)

26.	फसल की थ्रेसिंग के पश्चात् साफ किये दाने को बोरियों में भरकर, तोलकर गोदाम में पहुँचाकर धांग लगानी होगी। अगर थ्रेसिंग करते समय बोरियों में कचरा पाया जाता है तो कमेटी एवं स्टोरकीपर द्वारा समस्त माल को साफ करवाकर पुनः वजन कर बोरियों में भरवाया जावेगा। जिसकी मजदूरी संबंधी समस्त जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की ही होगी।
27.	थ्रेसिंग के दौरान लगने वाले लेवर का सभी खर्चा स्वयं ठेकेदार का होगा।
28.	थ्रेसिंग के बाद फसल उत्पाद को खलिहान से गोदाम तक लाने हेतु ट्रैक्टर-ट्रॉली केन्द्र द्वारा उपलब्ध करायी जावेगी।
29.	फसल में रोगिंग/ अवांछित पौधों को निकालने का कार्य फार्म प्रभारी/ फार्म प्रबन्धक की देखरेख में अलग-अलग समय पर करना होगा।
30.	बोरिंग, पम्प, ईजन, पंखा इत्यादि का ऑपरेशन निविदादाता को ही करना होगा एवं उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी।
31.	श्रमिकों को लाने, ले जाने, पानी लाने व अन्य श्रमिक क्षति होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
32.	फसल की दिन व रात्रि चौकीदारी निविदादाता की होगी व निविदादाता को दिन व रात्रि में अपना चौकीदार रखना अनिवार्य होगा।
33.	निविदादाता को सभी कार्य समय पर फार्म प्रभारी/ प्रबन्धक की माँग अनुसार कराने होंगे यदि कोई कार्य समय पर नहीं कराया गया या प्रभारी अधिकारी, कार्य से संतुष्ट नहीं हुए तो उस स्थिति में कार्य कार्यालय द्वारा करा लिया जायेगा व भुगतान ठेकेदार को करना होगा या अन्य कार्यवाही भी की जा सकती है।
34.	जिसके नाम हिस्सा बटाई का ठेका छूटेगा उसी व्यक्ति को आदेश मिलने के बाद से ही निविदा की शर्तों के अनुसार फार्म फील्ड की चौकीदारी का कार्य भी संभालना होगा। जो कि रबी फसल खेत में से उठने तक मान्य होगा।
35.	किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आर्बीटेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
36.	थ्रेसिंग का कार्य सुबह 9 बजे से सांय 5 बजे तक किया जावेगा।
37.	सफल निविदादाता को 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर समस्त शर्तों के तहत कार्य करने व ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी ऐसा लिखकर दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
38.	निविदादाता अगर कोई कार्य फार्म प्रभारी/ फार्म प्रबन्धक के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करता है तो अगले दिन कार्यालय स्वयं मजदूर लगाकर कार्य को करवा लिया जावेगा। जिसका भुगतान ठेकेदार के अन्तिम भुगतान में से काट लिया जावेगा।
39.	किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
40.	समस्त कार्य पूर्ण होने पर प्रभारी अधिकारी को कार्य से संतुष्ट होने पर ही हिस्सेदारी का अन्तिम भुगतान किया जा सकेगा।
41.	निविदादाता सम्पूर्ण फसल मौसम में श्रमिकों का भुगतान स्वयं करेगा।
42.	अनुमोदित निविदादाता को कार्यदेश जारी किये जाने से पूर्व निविदा स्वीकृति के सात दिवस में रु0 500/- नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित कराना होगा।
43.	समस्त निविदादाता अपने मूल पते सहित फोटो पहचान पत्र व पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करें।
44.	अन्तिम भुगतान हेतु ठेकेदारों को सभी श्रमिकों का कार्य का भुगतान कर देने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
45.	इन सभी कृषि कार्यों हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा।
46.	यह ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा तथा जिसके नाम ठेका है कार्य उसी व्यक्ति को करना होगा।
47.	अमानत राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
48.	किसी प्रकार के प्राकृतिक होने वाले नुकसान के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। इसमें केन्द्र किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देने के लिए बाध्य नहीं होगा।
49.	निविदादाता के मजदूर व स्वयं फार्म पर मदिरा व अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे और न ही किसी अन्य को करने देंगे।
50.	मैंने उपरोक्त सभी शर्तों को पढ़ लिया है एवं समझ लिया है एवं मैं उपरोक्त शर्तों के अनुसार हिस्सा बटाई की खेती करने हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर ठेकेदार


 प्रभारी अधिकारी
Officer Incharge
 Agril. Res. Sub. Station
 Kumher (Bharatpur)

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर (भरतपुर)

No.F./OT/ARSS/KUMHER/2024/114-119

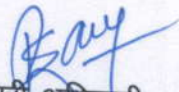
Date: 20.08.2024

खुली निविदा हेतु वाछित दस्तावेजात की सूची निम्न प्रकार संलग्न करें

क्र.सं.	आवश्यक दस्तावेजात का विवरण	संलग्न सूची क्रमांक
1.	आयकर (पैन कार्ड)	
2.	ब्लेक लिस्ट न होने का घोषणा प्रपत्र	
3.	निविदा प्रपत्र शुल्क रुपये 500/- का डी.डी.संलग्न	
4.	अमानत राशि रुपये 20000/- का डी.डी. संलग्न	
5.	शर्तों पर सहमति पत्र	
6.	आधार कार्ड	
7.	बैंक पासबुक/कैन्सिल चैक	
8.	संतोषजनक कार्य करने का प्रमाण पत्र	

नोट:- उपरोक्त वाछित दस्तावेजात के अभाव में निविदा अनुत्तरदायी माना जावेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। अनुत्तरदायी होने पर फर्म की वित्तीय निविदा को नहीं खोला जावेगा। उपरोक्त दस्तावेज सूची अनुसार तकनीकी प्रपत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर


प्रभारी अधिकारी
कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर)

Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

निविदादाता द्वारा किये जाने वाले कार्य व प्रतिशत हिस्सा का विवरण

वित्तीय निविदा प्रपत्र-1

क्रमांक: एफ. (LT)/Store/ARSS/K/2024/114-119

दिनांक: 20.08.2024

रबी फसल हिस्सा आधारित खेती वर्ष 2024-2025

क्र० सं०	फसल	विवरण	निविदादाता द्वारा प्रस्तावित स्वयं का हिस्सेदारी प्रतिशत	ठेकेदार द्वारा अन्य कोई शर्त
1.	सरसों	1. दाना		
		2. तूड़ी		
2.	जौ	1. दाना		
		2. भूसा		
3.	गेहूँ	1. दाना		
		2. भूसा		
4.	चना	1. दाना		
		2. खारी		
5.	मसूर	1. दाना		
		2. भूसा		
6.	सौंफ	1. दाना		
		2. भूसा		

हस्ताक्षर ठेकेदार


 प्रभारी अधिकारी
Officer Incharge
 Agril. Res. Sub. Station
 Kumher (Bharatpur)